क्रमांक 3328866 / छ.ग. / 2014 /
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक / 09 / 2015

–: कार्यालयीन आदेश :–

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3328866 / छ.ग. / 2014 / 8025 दिनांक 20.06.2014 द्वारा सर्वश्री एम.आर. सोनी, उपअभियंता, बी.एन. उपाध्याय, उपअभियंता, एम.एल. गुलाबानी, उपअभियंता एवं आर.आर. देवागंन, उपअभियंता को दिनांक 12 जून 2014 को माननीय सचिव, जल संसाधन विभाग के निरीक्षण के दौरान हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर के अंतर्गत ई.आर.एम. के तहत कराये जा रहे नहरों के लाईनिंग कार्यो में पाये गये गुणवत्ता विहिन कार्यो के संपादन के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर के पत्र क्र.–4767 दि. 18.06.2014 द्वारा प्राप्त अनुशंसा अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर, इनका मुख्यालय कार्यालय अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर निर्धारित किया गया था। प्रकरण में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3328866 / छ.ग. / 2014 / 9814 दिनांक 26.07.2014 द्वारा सर्वश्री एम.आर. सोनी, उपअभियंता, बी.एन. उपाध्याय, उपअभियंता, एम.एल. गुलाबानी, उपअभियंता एवं आर.आर. देवागंन, उपअभियंता को आरोप पत्रादि जारी किये गये है।

प्रकरण में उपरोक्त अपचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर समाधानकारक नही पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3328866 / छ.ग. / 2014 / 3201 दिनांक 12.03.2015 द्वारा मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर को जांचकर्ता अधिकारी तथा कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया तथा कार्यालयीन आदेश क्र. 3328866 / छ.ग. / 2014 / 3199 दिनांक 12.03.2015 द्वारा सर्वश्री एम.आर. सोनी, उपअभियंता, बी.एन. उपाध्याय, उपअभियंता, एम.एल. गुलाबानी, उपअभियंता एवं आर.आर. देवागंन, उपअभियंता को निलंबन से बहाल कर, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्र.–2, चांपा में पदस्थ किया गया है।

प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं जांच के निष्कर्षो के अनुसार सर्वश्री एम.आर. सोनी, उपअभियंता, बी.एन. उपाध्याय, उपअभियंता, एम.एल. गुलाबानी, उपअभियंता एवं आर.आर. देवागंन, उपअभियंता को आंशिक रूप से कर्त्तव्य निर्वहन में दोषी पाया गया है।

प्रकरण में जांच अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के परीक्षणोंपरांत सर्वश्री एम.आर. सोनी, उपअभियंता, बी.एन. उपाध्याय, उपअभियंता, एम.एल. गुलाबानी, उपअभियंता एवं आर.आर. देवागंन, उपअभियंता को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के नियम 10 (4) के अंतर्गत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में सर्वश्री एम.आर. सोनी, उपअभियंता, बी.एन. उपाध्याय, उपअभियंता, एम.एल. गुलाबानी, उपअभियंता एवं आर.आर. देवागंन, उपअभियंता का एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित करते हुये प्रचलित विभागीय जांच प्रकरण समाप्त किया जाता है, साथ ही उनके निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मानकर निलबंन अवधि के सम्पूर्ण वेतन भत्ते (निलंबन अवधि के भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्ते का समायोजन कर) के साथ उक्त अवधि का नियमितिकरण किया जाता है।

हस्ता/–
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक 3328866 / छ.ग. / 2014 / 16003 दिनांक 01 / 12 / 2015

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।
3. मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर।
4. मुख्य अभियंता एवं जांचकर्ता अधिकारी, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।
5. अधीक्षण अभियंता, हसदेव परियोजना मंडल, रामपुर / कोरबा।
6. अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर।
7. कार्यपालन अभियंता एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर।
8. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्र.–2, चांपा।
9. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेन्टर, रायपुर।
10. सर्वश्री एम.आर. सोनी, उपअभियंता, बी.एन. उपाध्याय, उपअभियंता, एम.एल. गुलाबानी, उपअभियंता एवं आर.आर. देवागंन, उंपअभियंता द्वारा सरल क्रमांक–2.
11. मास्टर नस्ती।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

** पानी अमृत के समान है, इसे व्यर्थ होने से बचाएँ**